Byemail

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक :– पनिवि/रा/४–विविध–३२/२०१४–२३३१(S) राँची, दिनांक :– 25/4/17

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (या0),
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

विषयः– सोनुआ–पनसुआ–लोढ़ाई–गुदरी पथ (कुल लंबाई–41.560 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य अंतर्गत वनभूमि अपयोजन हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर का पत्रांक 384 दिनांक 18.04.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सोनुआ–पनसुआ–लोढ़ाई–गुदरी पथ (कुल लंबाई–41.560 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य अंतर्गत वनभूमि अपयोजन संबंधी कार्रवाई हेतु श्री राजीव कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को प्राधिकृत किया जाता है।

27/04/17

विश्वासभाजन,

25.4.17

(मस्त राम मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 2331(S) राँची दिनांकः 25/4/17

प्रतिलिपिः अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, चाईबासा/ श्री राजीव कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.4.17

सरकार के सचिव।

12/05/17
Executive Engineer
RCD. Road Division
Manoharpur

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0/06–योजना–51/2016 – 4033(S) दिनांक – 27/6/16

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत "सोनुआ(MDR–173 पर)–पनसुआ–लुदई–गुदरी पथ (कुल लंबाई–41.560 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू–अर्जन सहित)" हेतु रू0 86,24,30,300/– (छियासी करोड़ चौबीस लाख तीस हजार तीन सौ रू0) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 86,24,30,300/– (छियासी करोड़ चौबीस लाख तीस हजार तीन सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष– "मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उप योजना–उप शीर्ष–01–वृहद सड़कें, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमडल, मनोहरपुर होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, मनोहरपुर से की जायेगी।

4. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2016–17	रू0 2150.000 लाख	25%
2017–18	रू0 3900.000 लाख	45%
2018–19	रू0 2574.303 लाख	30%

5. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

7. प्रस्ताव पर मन्त्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

27/6/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

12/08/17
...utive Engineer
...D. Road Division
Manoharpur

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–51 / 2016 – 4033(S) दिनांक –27/6/16

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता(याता0), पथ निर्माण विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, चाईबासा / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि हस्तांतरण की अधिसूचना निर्गत होने एवं पथ के विधिवत् हस्तांतरण के पश्चात् ही कार्य का एकरारनामा एवं योजना के निर्माण का कार्यान्वयन की जायेगी।

5. इस कार्य के कार्यान्वयन से जुड़े कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता निम्न बिन्दुओं पर संतुष्ट / सुनिश्चित होकर ही निर्माण हेतु कार्यान्वयन की अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे :–

(i) स्वीकृत पथांश में पूर्व के योजना मद अंतर्गत कराए गए कार्य एवं गैर–योजना मद अंतर्गत Surface Renewal एवं Special Repair के अंतर्गत कराए गए कार्य के तीन वर्ष अथवा Defect Liability Period (दोनों में जो अधिक हो) के समापन के पश्चात् ही कार्य किया जाय।

... हस्तांतरण के उपरांत ही

Executive Engineer
RCD: Road Division
Manoharpur